न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–357/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 979/2026
(CNR No: UPGZ010024152026)

1.निमिष अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी–मोतबाग थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।
2.रोशन यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी–भोपाल चक, करीमुद्दीन, गाजीपुर।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–63/2026
धारा–331(4), 305, 317(2), 3(5)
बी.एन.एस.
थाना–साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

.....

19.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण निमिष अग्रवाल एवं रोशन यादव की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्तगण के पैरोकार राहुल शर्मा ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा गरिमा सिंह ने दिनांक 05.02.2026 को थाना साहिबाबाद पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है उसका का एक घर दिल्ली में भी है। जब वह दिनांक 05.02.2026 को वह अपने घर B202, SPS APPt आयी तो उसने देखा की उसके घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी। घर में 2 सोने के हार, सोने–चांदी का कुछ अन्य सामान तथा करीब एक लाख रुपये कैश रखा हुआ था।

4. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें झूठा रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण से दिखायी गयी बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। आवेदक/अभियुक्तगण को थाना हाजा की पुलिस उसके घर से पूछताछ के बहाने घर से उठाकर लायी थी तथा बाद अनुचित मांग पूरी न होने के कारण आवेदक/अभियुक्तगण की उक्त मुकदमे में संलिप्त कर दिया। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.20 10:04:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का सदस्य है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 10.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर से सोने–चांदी के आभूषण तथा 1 लाख रुपये कैश चुराया गया है उक्त चोरी से संबंधित बरामदगी हुई है। जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर सोने–चांदी के आभूषण तथा 1 लाख रुपये कैश चोरी किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण से उक्त चोरी से संबंधित आभूषण एवं अन्य सामान बरामद होना कहा गया है, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 10.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। सह अभियुक्त अमन सक्सैना की जमानत दिनांक 11.03.2026 को सत्र न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा स्वीकार हो चुकी है।

8. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण निमिष अग्रवाल एवं रोशन यादव की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू (जिनमें से एक–एक प्रतिभू परिवार से संबंधित होगी) सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 19.03.2026